उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या– 123 / उ0नि0लि / रिफॉर्म / विनियम:195–195.23 / अनुशासन एवं अपील / 2021 दिनांक: 29 / 07 / 2021

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 08.07.2021 को सम्पन्न 195वीं बैठक में एजेण्डा आइटम सं0 195.23 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021, एतद्द्वारा निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:–

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1– (क) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2021 कही जायेगी। (ख) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। (ग) यह कम्पनी एक्ट–2013 के सेक्शन 179 एवं कम्पनी एक्ट के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत निदेशक मण्डल को विनियम बनाने की शक्ति के अधीन उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त कार्मिकों पर लागू होगी।
परिभाषाएं	2– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में– (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा विनियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है, (ख) "निगम" का तात्पर्य "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0" से है, (ग) "विभागीय जाँच" का तात्पर्य इस विनियमावली के नियम–7 के अधीन जांच से है, (घ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम–6 के अधीन शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी से है, (ड़) "निदेशक मण्डल" का तात्पर्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल से है, (च) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष से है, (छ) "प्रबन्ध निदेशक" का तात्पर्य उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के प्रबन्ध निदेशक से है, (ज) "कार्मिक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में स्वीकृत पदों पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है, (झ) "समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों" का तात्पर्य सुसंगत सेवा विनियमावली या इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी निगम के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है, (ञ) "सेवा" का तात्पर्य उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवाओं और पदों से है।

(23)

शास्तियाँ	**3–** निम्नलिखित शास्तियाँ, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबन्धित है, कार्मिकों पर अधिरोपित की जा सकेगी :– **<u>लघु शास्तियाँ</u>** (एक) परिनिन्दा, (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन वृद्धि को रोकना, (तीन) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंधन करने के कारण निगम को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना, (चार) समूह "घ" पदों को धारण करने वालें व्यक्तियों के मामले में जुर्माना, परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस माह के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, (पाँच) अवचार। **<u>दीर्घ शास्तियाँ</u>** (एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि को रोकना, (दो) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना, (तीन) सेवा से हटाना (Removal) जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो। (चार) सेवा से पदच्युति (Dismissal) जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो। **<u>स्पष्टीकरणः</u>**– इस विनियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति की कोटि में नहीं माना जायेगा, अर्थात :– (एक) किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शास्ति करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी कार्मिक की वेतन वृद्धि को रोकना, (दो) सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति का परीवीक्षा अवधि के दौरान व उसकी समाप्ति पर नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन, (तीन) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर नियुक्ति की शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, सेवा की पर्यवस्यन।
निलम्बन	**4**–(एक) कोई कार्मिक जिसके आचरण के विरूद्ध कोई जांच अनुध्यात है या उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा सशक्त अधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा। प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि कार्मिक के विरूद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता हो। (दो) कोई कार्मिक, जिसके सम्बन्ध में या जिसके विरूद्ध किसी आपराधिक आरोप से सम्बन्धित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण, जो कार्मिक के रूप में उसकी स्थिति से सम्बन्धित है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, लम्बित हो, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे इस विनियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो उसके विवेक पर तब तक निलम्बित रखा जा सकेगा जब तक कि उस आरोप से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियॉ समाप्त न हो जाये।

(24)

	(तीन) (क) कोई कार्मिक यदि वह अड़तालिस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो, चाहें निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो निलम्बित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा। (ख) उपर्युक्त कार्मिक अभिरक्षा से निर्मुक्त किये जाने के पश्चात् अपने निरोध के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरूद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ–साथ इस विनियम में दिये गये उपबन्धों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपान्तरण करने के लिये समुचित आदेश पारित करेगा। (चार) कोई कार्मिक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अड़तालिस घण्टे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गई है और उसे ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है, तो इस विनियमावली के अधीन निलम्बन के लिये सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा। **स्पष्टीकरण**– इस उपनियम में निर्दिष्ट अड़तालिस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् और इस प्रयोजन के लिये कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जायेगा। (पाँच) जहां किसी कार्मिक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस विनियमावली या इस विनियमावली द्वारा विस्थापित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाये और मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिये किसी अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाये वहॉ (क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। (ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि इस उप–विनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे मामले में जहॉ, किसी कार्मिक पर पदच्युत या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिये या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरूद्ध अग्रेतर जांच लम्बित रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है। (छः) जहां किसी कार्मिक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को किसी

(25)

	विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणाम स्वरूप अपास्त कर दिया जाये या शून्य घोषित कर दिया जाये या शून्य कर दिया गया और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरूद्ध उन अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति मूलरूप में आरोपित की गयी थी, अग्रेतर जांच करने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहे या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाये या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाये या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाये, वहां : (क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्यधीन रहते हुए पदच्युति या सेवा से हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। (ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जायें, "पदच्युति" या "सेवा से हटाने" के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा। (सात) जहां कोई कार्मिक (चाहें किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध मे या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाये या निलम्बित किया गया समझा जाये और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरूद्ध प्रारम्भ कर दी जाये, वहाँ निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों ये यह निदेश दे सकेगा कि वह कार्मिक तब तक निलंबित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाये। (आठ) इस विनियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहरण न कर दिया जाये। (नौ) इस विनियम के अधीन निलम्बन के अधीन या निलम्बन के अधीन समझा गया कोई कार्मिक फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के फण्डामेन्टल रूल–53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पाने का हकदार होगा।
निलम्बन अवधि में वेतन और भत्ते आदि	**5–** इस विनियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात संबंधित कार्मिक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त कार्मिक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो भाग–दो से चार के नियम–54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण माँगने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
अनुशासनिक प्राधिकारी	**6–** किसी कार्मिक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासिक प्राधिकारी होगा जो इस विनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उस पर नियम –3 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युति या सेवा से हटाया नहीं जायेगा। प्रतिबन्ध यह भी है कि इस विनियमावली के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के पदों के किसी कार्मिक के मामले में पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति के अधिरोपित करने की शक्ति को, अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी उसमें विहित की जाये,

(26)

	प्रत्यायोजित कर सकती है।
दीर्घ शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया	7– किसी कार्मिक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी:– (एक) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिये जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है या जांच समिति का गठन कर सकता है। (दो) अपचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप–पत्र कहा जायेगा। आरोप–पत्र अद्यतन पदधारिता के अनुरूप सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अथवा हस्ताक्षरित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक मण्डल हों वहां आरोप–पत्र निदेशक मण्डल द्वारा सशक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा। (तीन) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे, जिसमें आरोपित कार्मिक के विरूद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सके। आरोप–पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजी साक्ष्यों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हो ,आरोप–पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे। (चार) आरोपित कार्मिक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप–पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे, और यह कथन करे कि, आरोप–पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। आरोपित कार्मिक को नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत सुनवाई का अवसर जांच समिति/जांच अधिकारी द्वारा अवश्य प्रदान किया जाये तथा उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच पूरी करने की कार्यवाही करेगा। (पाँच) आरोप–पत्र उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन, यदि कोई हो, के साथ निगम के आरोपित कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी। उपर्युक्त रीति से आरोप–पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप–पत्र को आरोपी कार्मिक के निवास/कार्य स्थल के व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हो, वहॉ इसकी प्रति आरोप–पत्र के साथ प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित कार्मिक को उसे जांच अधिकारी/जांच समिति के समक्ष निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। (छः) जहॉ आरोपित कार्मिक उपस्थित होता है और आरोपों को स्वीकार करता है, वहॉ जांच अधिकारी/जांच समिति ऐसी अभिस्वीकृति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। (सात) जहॉ आरोपित कार्मिक आरोपों का इन्कार करता है, वहॉ जांच अधिकारी/जांच

(27)

	समिति आरोप–पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित कार्मिक की उपस्थित में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात जांच अधिकारी/जांच समिति उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित कार्मिक में अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था। प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी/जांच समिति ऐसे कारणों से कोई लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा। (आठ) जांच अधिकारी/जांच समिति अपने समक्ष किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिये बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। (नौ) जांच अधिकारी/जांच समिति सत्य का पता लगाने या आरोपों से सुसंगत तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहें, पूछ सकता है। (दस) जहॉ आरोपित कार्मिक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नही होता है तो, जांच अधिकारी/जांच समिति एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में जांच अधिकारी/जांच समिति आरोपित कार्मिक की अनुपस्थिति में, आरोप–पत्र में उल्लिखित साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेगा। (ग्यारह) अनुशासनिक प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिये किसी कार्मिक या विधि व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा नियुक्त कर सकता है। (बारह) कार्मिक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य कार्मिक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिये किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे, दिया गया हो:– प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:– (क) जहां किसी व्यक्ति पर कोई दीर्घ शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गयी हो जो किसी आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराये, या (ख) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेगे, यह समाधान हो जाता है कि इस विनियामावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है, या (ग) जहां निदेशक मण्डल का यह समाधान हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस विनियमावली में उपबंधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है।
जांच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना	**8–** जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी/जांच समिति, जांच के समस्त अभिलेखों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संक्षिप्त

(28)

	तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष कर विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे। जांच अधिकारी/जांच समिति शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।
जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही	9–(एक) अनुशासनिक प्राधिकारी कार्मिक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनः जांच के लिये उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी/जांच समिति को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी /जांच समिति उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, विनियम–7 के उपबन्धों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा। (दो) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा। (तीन) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित कार्मिक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायेगा और तद्नुसार उसे संसूचित कर दिया जायेगा। (चार) यदि समस्त या किन्ही आरोपों के निष्कर्षो का ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम–3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित कार्मिक पर अधिरोपित होनी चाहिए। तो वह उपनियम (दो) के अधीन जांच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कर्षों की एक प्रति आरोपित सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित कार्मिक के अभ्यावेदन से संबधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, नियमावली के नियम–3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियॉ अधिरोपित करते हुए एक युक्तिसंगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित कार्मिक को संसूचित करेगा।
लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया	10–(एक) जहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिये समुचित और पर्याप्त कारण है, वहॉ वह उपनियम (दो) के अध्यधीन रहते हुए नियम–3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा। (दो) कार्मिक को उसके विरूद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायेगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात ऐसे आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाये वहॉ उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश सम्बन्धित कार्मिक को संसूचित किया जायेगा। (तीन) यदि किसी कार्मिक के विरूद्ध यौन शोषण या यौन उत्पीड़न की शिकायत कार्य स्थल के प्रभारी सहित नियुक्ति प्राधिकारी को की जाती है और यदि नियुक्ति प्राधिकारी जांच के प्रयोजनार्थ एक शिकायत समिति (जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा) गठित करता है तो ऐसी शिकायत समिति की रिपोर्ट/निष्कर्ष को जांच रिपोर्ट माना जायेगा और नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अपचारी सरकारी सेवक पर लघु शास्ति आरोपित कर सकता है और एक पृथक जांच संस्थित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
अपील	11–(एक) इस विनियमावली के अधीन निदेशक मण्डल द्वारा पारित आदेश के सिवाय, कार्मिक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील अगले उच्चतर

(29)

	प्राधिकारी को करने का हकदार होगा। (दो) अपील, अपीलीय प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत की जायेगी। यदि कोई कार्मिक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता हो। (तीन) अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी। (चार) अपील आक्षेपित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात की गई कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी।
अपील पर विचार	12– अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात अपील में इस विनियमावली के नियम–13 के खण्ड (क) से (घ) में यथा उल्लिखित ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझेः– (क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके है, (ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं, और (ग) क्या शास्ति अत्याधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है।
पुनरीक्षण	13– इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, समूह 'क' एवं 'ख' के मामले में अध्यक्ष एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के मामले में प्रबन्ध निदेशक स्वप्रेरणा से या संबंधित कार्मिक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगा जिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस विनियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो और, (क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसका संशोधन कर सकेगा या उसे उलट सकेगा, या (ख) निदेश दे सकेगा कि मामले में अग्रेतर जांच की जाये, या (ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकेगा या उसमें वृद्धि कर सकेगा, या (घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे।
पुनर्विलोकन	14– निदेशक मण्डल यदि उसके संज्ञान में यह बात लाई गई हो कि आक्षेप आदेश पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्विक त्रुटि हो गई थी जिसका प्रभाव मामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित कार्मिक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे।
शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व अवसर	15– नियम–12, 13 और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित कार्मिक को प्रस्तावित यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।
विखण्डन और व्यावृत्ति	16–(एक) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 को इस विनियमावली द्वारा विस्थापित किया जाता है। (दो) ऐसे विस्थापन के होते हुए भी,– (क) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अधीन जारी किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी प्राधिकारी की नियम–3 में उल्लिखित किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने की शक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस विनियमावली के अधीन जारी किया गया

(30)

	समझा जायेगा और तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे रद्द या विखण्डित न कर दिया जाय। (ख) इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को लम्बित कोई जाँच, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन जारी रहेगा और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्णीत किया जायेगा। (ग) इस विनियमावली की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ऐसे अधिकार के प्रवर्तन से वंचित नहीं करेगी। जो उसे इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी पारित आदेश के सम्बन्ध में इस विनियमावली के प्रवर्तन न होने पर प्राप्त होते और इस विनियमावली के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को इस विनियमावली के अधीन दाखिल की जायेगी और तद्नुसार निस्तारित की जायेंगी, मानों इस विनियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 123/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः195–195.23/अनुशासन एवं अपील/2021 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. (मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक) अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ, एटा।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 08.07.2021 को सम्पन्न 195वीं में प्रस्तुत आइटम संख्या–195.23 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05)/उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–02)/अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

29/7/21

(तरूण कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या– 55 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियमः 214–214.8 / अनुशासन एवं अपील / 2021 दिनांकः 10 / 04 / 2023

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.03.2023 को सम्पन्न 214वीं बैठक में एजेण्डा आइटम संख्या – 214.8 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में निगमादेश संख्याः 123 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियमः195–195.23 / अनुशासन एवं अपील / 2021, दिनांक 29.07.2021 द्वारा निर्गत **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021"** में एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रथम संशोधन किया जाता हैः–

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021 (प्रथम संशोधन)

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की आवश्यकतानुसार ई0आर0पी0 प्रणाली में प्रदत्त दण्ड की प्रविष्टि की सुविधा हेतु तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अधिकतम वेतनमान में स्थिरता प्राप्त कर चुके कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त / स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को प्रदत्त दण्डादेशों के क्रियान्वयन हेतु, निगमादेश संख्याः 123 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियमः195–195.23 / अनुशासन एवं अपील / 2021, दिनांक 29.07.2021 द्वारा निर्गत **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021"** के विनियम–3 **"शास्तियाँ"** के अन्तर्गत स्तम्भ–01 के अनुसार **लघु शास्तियाँ (एक)** व (दो) एवं **दीर्घ शास्तियाँ (एक)**, को निम्नानुसार स्तम्भ–02 में उल्लिखित व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021 का वर्तमान में प्रचलित विनियम–3 "शास्तियाँ"	**प्रतिस्थापित विनियम**
स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
लघु शास्तियाँ (एक) परिनिन्दा (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना।	**लघु शास्तियाँ** (एक) परिनिन्दा (Censure) (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना अथवा विनिर्दिष्ट संख्या में वेतन वृद्धि को असंचयी प्रभाव से कम किया जाना।
दीर्घ शास्तियाँ (एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना।	**दीर्घ शास्तियाँ** (एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना अथवा विनिर्दिष्ट संख्या में वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव से कम किया जाना।

2– उपरोक्तानुसार, **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021"** में **प्रथम संशोधन** तत्काल समय से प्रभावी माना जायेगा। निगमादेश संख्याः 123/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः195–195.23/अनुशासन एवं अपील/2021, दिनांक 29.07.2021 द्वारा निर्गत "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021" उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या– 55/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः 214–214.8/अनुशासन एवं अपील/2021 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र /सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव–परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक/प्रगति, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 27.03.2023 को सम्पन्न 214वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–214.8 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/रिफॉर्म/टा0वा0से0), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0), उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

10/04/23

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्याः 93–उनिलि/रिफार्म/eOffice(R022)Comp.No.47343/अनुशासन एवं अपील/2025 दिनांकः 27/05/2025

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27.05.2025 को परिचालन विधि से पारित निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संः 414/सैंतालीस–का–1–2025–13(09)/1998 दिनांक 06.05.2025 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संः I/11111/2025 काविनी एवं विनियम–29/पाकालि/25 Comp.No. 31776 दिनांक 15.05.2025 की अनुरूपता में निगम में प्रचलित **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021 (यथा संशोधित)"** के **नियम 7 (सात)** में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है–

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील)
(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	(1) **यह विनियमावली उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2025** कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम 7 (सात) का संशोधन	उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये **नियम–7 के विद्यमान उपनियम (सात) के स्थान पर स्तम्भ–2 में** दिया गया नियम प्रतिस्थापित किया जाता है:–	
	स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
	(सात) जहां आरोपित कार्मिक आरोंपों का इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी/जांच समिति आरोप–पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित कार्मिक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी/जांच समिति उस मौखिक साक्ष्य को	**(सात)** जहां आरोपित कार्मिक आरोंपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी/जांच समिति यदि नियम–7 (तीन) के अनुसार, आरोप–पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य साबित करने के लिये प्रस्तावित साक्षियों के नाम उल्लिखित हों तो आरोप पत्र में उल्लिखित साक्षियों को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित कार्मिक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को

	मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित कार्मिक में अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था। प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी/जांच समिति ऐसे कारणों से कोई लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।	अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी/जांच समिति उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित कार्मिक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था। परन्तु यह कि जांच अधिकारी/जांच समिति ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा। परन्तु यह और कि यदि आरोपित कार्मिक स्वयं अपने लिखित विवरण के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ–साथ मौखिक साक्ष्य के कोई प्रमाणन की वांछना नहीं करता है, तो जांच अधिकारी, इस तथ्य को लिखित रूप से अभिलिखित करेगा और मौखिक साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर दिये बिना, केवल आरोपित कार्मिक के लिखित विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ही जांच अधिकारी/जांच समिति जांच की कार्यवाही समाप्त करेगा/करेगी।

ii) **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021(यथा संशोधित)"** सभी संशोधनों सहित समग्रता में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के दोनों स्कन्धों (तापीय व जलीय) में प्रभावी होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्याः 93–उनिलि/रिफार्म/eOffice(R022)Comp.No.47343/अनुशासन एवं अपील/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र /झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव–परियोजना, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), प्रगति इकाई, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0)/मुख्य अभियन्ता(परि0 एवं अनु0), जल विद्युत स्कन्ध, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0/वित्त एवं लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,

21/05/25

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्याः 94–उनिलि/रिफार्म/eOffice(R022)Comp.No.49640/अनुशासन एवं अपील/2025 दिनांकः 27/05/2025

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27.05.2025 को परिचालन विधि से पारित निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0: 422–काविनी एवं विनियम–29/पाकालि/2025/Com.No. 31776 दिनांक 23.05.2025 की समरूपता में निगम में प्रचलित **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021 (यथा संशोधित)"** के अन्तर्गत **नियम–7क** का समावेश एतद्द्वारा किया जाता है–

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2025

(विद्युत गृह/विद्युत प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा प्रयास करने पर शास्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में विशेष नियम)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	(1) यह नियमावली 'उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (तृतीय संशोधन) विनियमावली–2025' कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम–7क	*विद्युत गृह/विद्युत प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा प्रयास करने पर शास्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में विशेष नियम।*

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021(यथा संशोधित) में निम्नवत् उपबन्ध को नियम–7क के रूप में सम्मिलित किया जाता है:–

नियम–7क

(1) विद्युत आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है एवं वर्तमान समय में जीवन के संचालन के लिए नितान्त आवश्यकता भी है। सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति जनसामान्य के साथ–साथ सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों एवम् संस्थानों तथा अति महत्वपूर्ण संस्थानों यथा चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, मा0 न्यायालय, रेल यातायात, एयरपोर्ट, कारागार, डाटा सेन्टर, बैंक व वित्तीय प्रणाली, संचार व्यवस्था, इन्टरनेट, रक्षा प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, पुलिस व सुरक्षा व्यवस्था, जल आपूर्ति आदि के संचालन के लिए भी अपरिहार्य है। इन प्रतिष्ठानों की विद्युत आपूर्ति बाधित होने से जनसामान्य के सामान्य क्रियाकलापों के साथ ही स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा

कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति बाधित होने से Public unrest होने के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान के साथ ही लोकशांति भंग होने की भी प्रबल आंशका होती है।

(2) इन्हीं कारणों से विद्युत प्रणाली (Electrical System) व विद्युत अवस्थापना (Electrical Infrastructure) आधुनिक समाज की परिकल्पना के लिए एक बुनियादी अवस्थापना (Critical Infrastructure) है। इसके संचालन में बाधा, तोड़ फोड़ अथवा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान पहुंचाने की अनुमति या अवसर किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन अथवा समूह को किसी भी कारण से नहीं दिया जा सकता।

(3) समय–समय पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए विद्युत प्रणाली तथा इससे सम्बंधित सार्वजनिक कम्पनियों से सम्बन्धित विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, कार्मिकों एवं व्यक्तियों द्वारा कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल का आह्वान किया जाता है। इसमें विद्युत उत्पादन/आपूर्ति को बाधित कर अथवा बाधित करने का प्रयास कर अथवा बाधित करने की धमकी देकर शासन व्यवस्था पर अनुचित दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के कृत्य द्वारा ये संगठन विद्युत उत्पादन/आपूर्ति में बाधा को एक हथियार की तरह से इस्तेमाल करते है एवं जनमानस के लिए अति आवश्यक मूल भूत सुविधा को बाधित कर अथवा बाधित करने की आशंका उत्पन्न कर सम्पूर्ण समाज के लिए कठिनाई उत्पन्न करते है। किसी भी सभ्य समाज में किसी भी समूह एवं व्यक्ति को समाज को इस प्रकार से अनुचित दबाव में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे की विद्युत उत्पादन/आपूर्ति की व्यवस्था Paralyze (अपंग) हो जाये एवम् जन सामान्य तथा महत्वपूर्ण संस्थानों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो।

(4) इसी सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा माह दिसम्बर 2022 में हड़ताल/कार्य बहिष्कार के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् आदेशित किया गया है : –

It is expected that the Power Department shall ensure that the power supply is not disrupted and if it is disrupted in any manner, then strict action is taken. (PIL no. 2349 of 2022 order date 06.12.2022)

(5) जनहित में अविलम्ब विद्युत उत्पादन/आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत प्रणाली में बाधा उत्पन्न करने के कृत्यों में संलिप्त कार्मिक या कार्मिकों के विरूद्ध तत्काल कठोरतम कार्यवाही अपेक्षित होती है, जिससे ऐसी गतिविधियों को नियन्त्रित किया जा सके एवं अन्य को भी ऐसे अवैधानिक कार्य करने से हतोत्साहित किया जा सके।

(6) किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन के आह्वान पर कार्मिक यदि कार्य बहिष्कार अथवा हड़ताल अथवा इसी प्रकार की गतिविधि में भाग लेते है, जिससे कि तोड़ फोड़ कर अथवा अन्य गतिविधियों से विद्युत उत्पादन/आपूर्ति की रूकावट की आंशका हो, तो ऐसी स्थिति में यदि इन कृत्यों में संलिप्त कार्मिक या कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित अथवा संस्थित की जाती है तो सामान्यतः यह स्थिति बनती है कि जांच करने वाला अधिकारी ही आन्दोलनरत संगठन का सदस्य हो या आन्दोलनकर्मियों की मांगों से स्वयं ही सहानुभूति रखता हो अथवा परोक्ष रूप से आन्दोलन का समर्थन कर रहा हो। परिणामस्वरूप ऐसे प्रकरणों में या तो जांच करना संभव नहीं हो पाता है अथवा जांच में अनावश्यक विलम्ब होता है जिससे जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही की उपादेयता ही समाप्त हो जाती है।

(7) इस विशेष परिस्थिति के समाधान की दिशा में बिना जांच कारित किये अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद–311 में निम्नवत् व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है :–

*अनुच्छेद–311 : संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमता में नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी (**Dismissal**), हटाया जाना (**Removal**) या पद में अवनति (**Reduction in Rank**)*

(1) किसी व्यक्ति को, जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जो उस प्राधिकारी के अधीनस्थ है जिसने उसे नियुक्त किया था।

(2) पूर्वोक्त किसी व्यक्ति को, जांच के पश्चात ही पदच्युत किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा या पद में अवनत नहीं किया जाएगा, जिसमें उसे उसके विरूद्ध आरोपों की जानकारी दे दी गई हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो।

परन्तु जहां ऐसी जांच के पश्चात उसपर कोई शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, वहॉ ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा :

बशर्ते कि यह खंड निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा –

(क) जहाँ किसी व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर बर्खास्त किया जाता है या हटाया जाता है या उसके पद में कमी की जाती है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है, या

(ख) जहॉ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या उसे पदावनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जिसे उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से दर्ज किया जाएगा, ऐसी जांच करना युक्तिसंगत रूप से व्यवहार्य नहीं है, या

(ग) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।

(3) यदि पूर्वोक्त किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि खंड (2) में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या उसे पदावनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(8) यदि किसी कार्मिक या कार्मिकों द्वारा :

(क) हड़ताल अथवा कार्य बहिष्कार, वर्क टू रूल, पेन डाउन, गो स्लो आदि नामक कार्यवाही की जाय (जो अप्रत्यक्ष रूप से हड़ताल का ही एक स्वरूप है) या इन्हीं प्रकार की कार्यवाही का प्रयास किया जाय या आह्वान किया जाय जिससे हड़ताल या हड़ताल जैसी परिस्थिति पैदा हो रही हो, जिससे नियमित विद्युत आपूर्ति बनाये रखने में बाधा उत्पन्न हो अथवा होने की आशंका हो।

(ख) महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना (Critical Infrastructure) या विद्युत संयंत्र आदि, को क्षति पहुंचायी जाये या क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाये अथवा इनके अनुरक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न की

जाये अथवा विद्युत प्रणाली के समुचित संचालन, अनुरक्षण आदि के कार्यों के सम्पादन में कर्तव्यों में लापरवाही की जाये अथवा अपेक्षानुसार दायित्वों का निर्वहन न किया जाये।

(ग) अन्य कार्मिकों को उक्त कृत्यों हेतु प्रेरित करने का प्रयास अथवा आह्वान किया जाये या किये जाने की आशंका प्रतीत होती हो।

ऐसी परिस्थितियों में यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को नियम–7 के अन्तर्गत पदच्युत (Dismissal), सेवा समाप्ति (Removal) या पदावनति (Reduction in Rank) का वृहद दण्ड दिये जाने की अवश्यकता है तथा किन्ही कारणों से (जिनका उल्लेख किया जाये) नियम–7 के अन्तर्गत जांच करना सम्भव नहीं है तथा विद्युत उत्पादन/विद्युत आपूर्ति/विद्युत प्रणाली में विद्युत व्यवधान की आंशका है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस कार्मिक को पदच्युत (Dismissal from service which disqualify for future Employment) या सेवा समाप्ति (Removal) या पदावनति (Reduction in Rank) का दण्ड दिया जा सकेगा।

यह कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी के अतिरिक्त उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी की जा सकेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पर नियुक्ति अधिकारी अथवा उपरोक्त प्रकार से आदेश करने वाला अधिकारी सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक से कम स्तर का अधिकारी हो, वहां पर जारी किये जाने वाले आदेश का प्रबन्ध निदेशक से यथा शीघ्र कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

ii) "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021(यथा संशोधित)" सभी संशोधनों सहित समग्रता में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के दोनों स्कन्धों (तापीय व जलीय) में प्रभावी होगी।

iii) उपरोक्तानुसार, संशोधनोंपरान्त निगमादेश संख्याः 123/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः195–195.23/अनुशासन एवं अपील/2021, दिनांक 29.07.2021 द्वारा निर्गत "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक(अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021(यथा संशोधित)" उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् लागू रहेंगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्याः 94–उनिलि/रिफार्म/eOffice(R022)Comp.No.49640/अनुशासन एवं अपील/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र /झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ जानपद नव–परियोजना, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), प्रगति इकाई, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0)/मुख्य अभियन्ता(परि0 एवं अनु0), जल विद्युत स्कन्ध, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0/वित्त एवं लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,

27/08/25

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)